दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेरहवाँ प्रतिवेदन

(29 दिसम्बर, 1997 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

THIRTEENTH REPORT

(Presented on 29th December, 1997)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवम् संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

§तेरहवां प्रतिवेदन§

§29·12·1997 को प्रस्तुत§

समिति का गठन

1·	श्री चरती लाल गोयल, माननीय अध्यक्ष	:	सभापति
2·	श्री वासदेव कप्तान	:	सदस्य
3·	श्री दर्शन कुमार बहल	:	सदस्य
4·	श्री राम पाल	:	सदस्य
5·	श्री जग प्रवेश चन्द्र	:	सदस्य
6·	डा·ए·के·वालिया	:	सदस्य
7·	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	:	सदस्य

सचिवालय

1·	श्री पी·एन·गुप्ता	:	सचिव
2·	श्री एस·के·शर्मा	:	विशेष सचिव
3·	श्री के·एल·कोहली	:	समिति अधिकारी

सर्वप्रथम समिति को उन विधेयकों की स्थिति से अवगत कराया गया जो सदन में पुरःस्थापित हो चुके हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से अभी लम्बित हैं ।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि कु0 पूर्णिमा सेठी द्वारा दिनांक 8·4·1994 को सदन में पुरःस्थापित **बाल श्रम§ उन्मूलन, कल्याण एवं पुनर्वास§ विधेयक, 1994§**1994 का विधेयक संख्या-9§, जिस पर उपराज्यपाल की संस्तुति प्राप्त होनी है, को सरकार द्वारा सदन में इस निर्णय से सदस्यों को अवगत कराने के उद्देश्य से शुक्रवार, 2 जनवरी, 1998 को सूचीबद्ध किया जाये । समिति ने इस उद्देश्य के लिये 10 मिनट का समय आबंटित करने का निर्णय लिया ।

समिति ने इच्छा व्यक्त की कि श्री आलोक कुमार द्वारा दिनांक 22·12·1995 को सदन में पुरःस्थापित **भारतीय तलाक§संशोधन§ विधेयक, 1995§**1995 का विधेयक संख्या-10§ को भी विचार एवं पारण हेतु शुक्रवार, 2 जनवरी, 1998 को सूचीबद्ध किया जाए ।

संकल्प

समिति को सूचित किया गया कि नियम 96(2) के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन कार्य सूची में 3 से अधिक संकल्प नहीं लगाये जा सकते हैं । दिनांक 17.12.97 को सम्पन्न बैलेटिंग में स्थान प्राप्त संकल्प इस प्रकार हैं :-

संकल्प संख्या	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	आबंटित समय
1.	श्री जग प्रवेश चन्द्र	यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली के विभिन्न स्थानों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को पहले की ही तरह पुनः लगाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इससे हजारों लोगों का जीवन-यापन जुड़ा हुआ है ।	45 मिनट
2.	श्रीमती कृष्णा तीरथ	यह सदन सिफारिश करता है कि एल.पी.जी. कनैक्शन के उपभोक्ताओं के लिये बंद कर दी गई मिट्टी के तेल की सप्लाई को पुनः चालू किया जाये और झुग्गी-झोपड़ी, जे.जे. कालोनियों आदि में रहने वाले उपभोक्ताओं की मिट्टी के तेल की सप्लाई, जिसमें 30 प्रतिशत कमी कर दी गई थी, को भी पुनः प्रारम्भ कर दिया जाये ।	45 मिनट
3.	श्री सूरज प्रसाद पालीवाल	यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली के शहरीकृत एवं देहाती गांवों के मकानों पर लगने वाले गृह कर (हाउस टैक्स) को तुरन्त समाप्त किया जाये, क्योंकि सरकार द्वारा यहां दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं ।	45 मिनट

समिति ने गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के दिन, 02 जनवरी, 1998 को संकल्पों से पहले विधेयकों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया ।

समिति ने श्री जग प्रवेश चन्द्र एवं उनकी अनुपस्थिति में श्री सूरज प्रसाद पालीवाल को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

(चरती लाल गोयल)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

दिल्ली,
दिसम्बर, 1997

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

(THIRTEENTH REPORT)

(Presented on 29.12.1997)

CONSTITUTION OF COMMITTEE

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon'ble Speaker	Chairman
2.	Shri Vasdev Kaptan	Member
3.	Shri Darshan Kumar Bahl	Member
4.	Shri Ram Pal Karhana	Member
5.	Shri Jag Parvesh Chandra	Member
6.	Dr. A.K. Walia	Member
7.	Shri Suraj Prasad Paliwal	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Special Secretary
3.	Shri K.L. Kohli	Committee Officer

At the outset, the Committee was informed of the position of Bills already introduced in the House but pending for various reasons.

The Committee desired that the Child Labour (Abolition, Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994 (Bill No.9 of 1994) which was introduced in the House by Km. Purnima Sethi on 08.04.1994 and to which L.G. has withheld his recommendations, may be listed for Friday, the 2nd January, 1998 to enable the Government to convey the decision to the Members in the House. The Committee decided to allot 10 minutes of the floor time for the purpose.

The Committee desired that 'The Indian Divorce (Amendment) Bill, 1995 (BillNo. 10 of 1995) which was introduced in the House on 22.12.1995 by Shri Alok Kumar may also be listed for Friday, for consideration and passing.

RESOLUTIONS

The Committee was informed that as per Rule 96 (2), not more than three resolutions can be set down in the List of Business on a Private Members' Day. The text of resolutions which found place in the ballotting held on 17.12.1997, is given below:-

Reso-lution No.	Name of the Member	Text of Resolution	Time allo-tted.
1.	Shri Jag Parvesh Chandra	This House recommends that the weekly bazaars being put up in various localities of Delhi, may be permitted to be operative as in the past, since it involves livelihood of thousands of people.	45 mts.
2.	Smt. Krishna Tirath	This House recommends that supply of Kerosene Oil which was discontinued for consumers having LPG connections be resumed and supply of Kerosene Oil to consumers living in Jhuggis, J.J. Colonies, etc., which has been reduced by 30% be restored forthwith.	45 mts.
3.	Shri Suraj Prasad Paliwal	This House recommends that the House Tax levied on the properties situated in rural and Urban Villages be abolished in view of insufficient basic amenities extended to them.	45 mts.

The Committee decided that on the Private Members' Day fixed for Friday, the 2nd January, 1998, the Bills may be listed first, followed up by resolutions.

The Committee authorised Shri Jag Parvesh Chandra, and in the event of his absence, Shri Suraj Prasad Paliwal, to present the Report of the Committee to the House.

(CHARTI LAL GOEL)
CHAIRMAN,
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'
BILLS & RESOLUTIONS